



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 23, 2012
(BHADRA 1, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 23rd August, 2012

No. 20—HLA of 2012/48.—The Haryana State Commission for Women Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 20—HLA of 2012

THE HARYANA STATE COMMISSION FOR WOMEN BILL, 2012

A

BILL

to constitute Haryana State Commission for Women and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows : --

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Haryana State Commission for Women Act, 2012.
- (2) It extends to the whole of the State of Haryana.
- (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint.

Short title,
extent and
commencement.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, --
- (a) "Commission" means the Haryana State Commission for Women constituted under section 3;
 - (b) "Chairperson" means Chairperson of the Commission;
 - (c) "Government" means the Government of the State of Haryana;
 - (d) "Member" means the member of the Commission and includes the Chairperson, Vice Chairperson and Member Secretary;
 - (e) "National Commission for Women" means the National Commission for Women constituted under section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990);
 - (f) "Public Office" includes an office, body or institution established or constituted under the Constitution of India, by Law of Parliament or State Legislature, by order or notification by the Government or a body or Non-Government Organization substantially financed by the Government;
 - (g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (h) "Vice Chairperson" means Vice-Chairperson of the Commission; and
 - (i) "Women" means a female including girl child or adolescent girl.

CHAPTER-II

HARYANA STATE COMMISSION FOR WOMEN

Constitution of
State Commission
for Women.

3. (1) The Government, by notification in the Official Gazette, shall constitute a body known as the Haryana State Commission for Women to exercise the powers conferred on, and perform the functions assigned to it under the Act.

(2) The Commission shall consist of-

- (a) a Chairperson, who shall be a woman, committed to the cause of women, to be nominated by the Government;
- (b) a Vice-Chairperson and a maximum of five members to be nominated by the Government from amongst persons of ability, integrity and standing who have experience in law, legislation, trade unionism, management of industry or organization committed to increase the employment potential for women, women's voluntary organizations (including women activists) administration, economic development, health, education or social welfare;

Provided that at least one member shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes;

- (c) a Member-Secretary to be nominated by the Government preferably from amongst the women officers of the Indian Administrative Services or the Haryana Civil Service, not below the rank of Joint/ Deputy Secretary to the Government;
- (d) the Administrative Secretary of Women and Child Development, Haryana shall be a special invitee;
- (e) the Director, Women and Child Development, Haryana and the Director General of Police of Haryana shall be ex-officio members of the Commission;
- (f) the majority of the members of the Commission shall be women.

4. (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and every nominated member shall hold office for such period, not exceeding three years, as may be specified by the Government in this behalf.

Term of office
and conditions of
service of
Chairperson,
Vice-Chairperson
and Members

(2) The Chairperson, Vice Chairperson and Non-Official member shall on attaining the age of 65 years cease to hold the office. The status of the Chairperson and Vice-Chairperson shall be the same as that of the status of the Financial Commissioner and Principal Secretary and the status of a nominated member shall be equivalent to the Joint Secretary in the Haryana Government Department respectively. The member may resign from his office by giving a notice in writing under his hand addressed to the Government.

- (3) The Government shall remove a member from his, if he, -
- (a) becomes an undercharged insolvent;
 - (b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude;
 - (c) gets involved in a criminal case or charges are framed against him;
 - (d) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
 - (e) refuses to act or becomes incapable of acting;
 - (f) is without obtaining leave of absence from the Commission, absents himself for three consecutive meetings of the Commission; or
 - (g) in the opinion of the Government, has so abused the position as to render that person's continuance in office detrimental to the public interest or interest of women:

Provided that no such person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination;

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson, the Vice-Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

5. (1) The Government shall provide the Commission with such officers and employees, as may be necessary, for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants/budgetary support.

6. The salaries and allowances payable to, the Chairperson, Vice-Chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants or budgetary support referred to in sub-section (1) of section 11.

Vacancies etc., not to be invalidate proceedings of the Commission.

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy, absence of member or defect in the constitution of the Commission.

Committees of the Commission.

8. (1) The Commission may appoint such Committees, as may be necessary, for dealing with such special issues as may be taken up by the Commission from time to time.

(2) The Commission shall have the power to co-opt as members of any committee appointed under sub-section (1), such number of persons, who are not members of the Commission, as it may think fit and the persons so co-opted shall have the right to attend the meetings of the Committee and take part in its proceedings but shall not have the right to vote.

(3) The persons so co-opted shall be entitled to receive such allowances for attending the meetings of the committee, as may be prescribed.

Procedure to be regulated by the Commission.

9. (1) The Commission or a committee thereof, as the case may be, shall meet as and when necessary and shall meet at such time and place, as deemed fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure and the procedure of the committees thereof or as is prescribed.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Member Secretary in this behalf.

CHAPTER-III

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

10. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:—

Functions of the
Commission

- (a) investigate and examine all matters relating to the safeguards provided for women under the Constitution and other laws;
- (b) present to the Government, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;
- (c) make in such reports recommendations for the effective implementation of those safeguards for improving the conditions of women by the State;
- (d) review, from time to time, the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments thereto so as to suggest remedial legislative measures to meet any lacunae, inadequacies or shortcomings in such legislations;
- (e) take up the cases of violation of the provisions of the Constitution and of other laws, relating to women with the appropriate authorities;
- (f) look into complaints and take suo motu notice of matters relating to—
 - (i) deprivation of women's rights;
 - (ii) non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also to achieve the objective of equality and development;
 - (iii) non-compliance of policy decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to women, and take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities;
- (g) call for special studies or investigations into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women and identify the constraints so as to recommend strategies for their removal;
- (h) undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spheres and identify factors responsible for impeding their advancement, such as, lack of access to housing and basic

services, inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards and for increasing their productivity;

- (i) participate and advise on the planning process of socio-economic development of women;
- (j) monitor and review the women related schemes/programmes in the State and evaluate the progress of the development of women under the State;
- (k) inspect or cause to be inspected Police Stations, jail, remand home, women's institution or other place of custody where women are kept as prisoners or otherwise, and take up with the concerned authorities for remedial action, if found necessary;
- (l) call for data from any organization on various issues/aspects of journey of women towards development, empowerment and accessibility, including growth and hurdles faced by them from individual, family or society etc.;
- (m) make periodical reports to the Government on any matter pertaining to women and in particular various difficulties under which women toil;
- (n) any other matter which may be referred to it by the Government;
- (o) shall furnish comments and recommendations on any report of the National Commission for Women on any matter with which the Government is concerned as the Government may call for.

(2) The Government shall cause all the reports referred to in clause (b) of sub-section (1) to be laid before the State Legislature along with a memorandum explaining the action taken.

(3) The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) or sub-clause (i) of clause (f) of sub-section (1), have all the powers of a civil court trying a suit and, in particular, in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any public office;
- (e) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER - IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

11. (1) The Government shall, after due appropriation made by Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants or budgetary support out of consolidated funds of the State for being utilized for the purposes of this Act. Grants/Budgetary support by the Government

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants or budgetary support referred to in sub-section (1).

12. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Government. Accounts and audit.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General (Audit), Haryana at such intervals as may be specified by the Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission.

(3) The Accountant General (Audit), Haryana and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as Accountant General (Audit) generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(4) The accounts of the Commission, as certified by Accountant General (Audit), Haryana or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report there on shall be forwarded to the Government by the Commission.

13. The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government which shall be a part of the Annual Administrative Report of the Women and Child Development Department. Annual report

14. The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendation contained therein, in so far as they relate to the Government and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations and the audit report to be laid as soon as may be after the reports are received, before the State Legislature. Annual report and audit report to be laid before legislature

CHAPTER - V
MISCELLANEOUS

Chairperson, Vice-Chairperson, Members and staff of the Commission to be public servants. **15.** The members, officers and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860)

Government to consult Commission **16.** The Government may consult the Commission on all major policy matters affecting women.

Protection of action taken in good faith. **17.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Chairperson, Vice-Chairperson, any Member of the Commission, or any officer of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the Rules made there under.

Power to make rules **18.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, before the State Legislature.

Savings. **19.** The Chairperson, Vice Chairperson or non-official members nominated *vide* Notification No. 3055 SW (4)/99 dated 20th December, 1999 in the Haryana State Commission for Women shall continue till the expiry of their respective term under the said notification:

Provided that anything done or any action taken or any proceedings conducted by the Commission constituted under the Notification No. 3055 SW (4)/99 dated 20th December, 1999 shall be deemed to have been done and taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

As per the orders of Hon'ble Supreme Court the State Women Commission was to be constituted and hence the State of Haryana issued administrative notification dated 20.12.1999 for constituting Haryana State Commission for Women. In pursuance of this administrative order, no Act was passed by the State Legislature till now. As per the existing status of the Commission, it does not exercise all the powers of a Civil Court trying a suit like summoning, enforcing the attendance, requiring the production of any document, receiving evidence on Affidavit, examination of witnesses and documents, implementation of laws enacted to provide protection to women, compliance of policy decision, guidelines aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to women. Hence to strengthen the State Women Commission the draft Bill is proposed which will provide the statutory status to the State Women Commission.

GEETA BHUKKAL,
Women and Child Development Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 23rd August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per clause 3 of the Haryana State Commission for Women Bill, 2012, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson, five Members and a Member Secretary to be nominated by the Government apart from two ex-officio Members. The Commission may appoint committees for dealing with special issues. The Commission will require money for various functions assigned to it. Under Clause 5 of the said bill, the Government shall provide the Commission with such officers and employees necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

In clause 11(1) of the Bill it has been proposed that the Government shall, after due appropriation made by Legislature by Law in this behalf, pay to the Commission by way of grants or budgetary support out of consolidated funds of the State for being utilized for the purposes of this Act.

No estimation of budget or expenditure can be made at this stage as the terms and conditions of the Members and Staff are to be prescribed.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 18 of the proposed Bill empowers the State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद !

2012 का विधेयक संख्या 20-एच० एल० ए०

हरियाणा राज्य महिला आयोग विधेयक 2012

हरियाणा राज्य महिला आयोग गठित करने हेतु तथा

उससे सम्बन्धित तथा उससे आनुषंगिक

मामलों के लिए उपबन्ध

करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है :
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।
- (3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषा।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) "आयोग" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य महिला आयोग;
- (ख) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का अध्यक्ष,
- (ग) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
- (घ) "सदस्य" से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य तथा जिसमें शामिल हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव;
- (ङ) "राष्ट्रीय महिला आयोग" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग;
- (च) "लोक कार्यालय" में भारत के संविधान के अधीन, संसद या राज्य विधानमण्डल की विधि द्वारा, सरकार के आदेश या अधिसूचना द्वारा

स्थापित या गठित कोई कार्यालय, निकाय या संस्था या सरकार द्वारा तत्त्वतः वित्तपोषित निकाय या गैर-सरकारी संगठन शामिल है,

- (छ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ज) "उपाध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का उपाध्यक्ष;
- (झ) "महिला" से अभिप्राय है, स्त्री, जिसमें किशोरी बालिका या नवयुवती किशोरी शामिल है।

अध्याय II

हरियाणा राज्य महिला आयोग

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन उसको राज्य महिला आयोग का गठन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसको सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग के रूप में ज्ञात निकाय का गठन करेगी।

(2) आयोग में निम्नलिखित होंगे—

(क) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित एक महिला होगी ;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामनिर्देशित किया जाने वाला उपाध्यक्ष तथा अधिकतम पांच सदस्य जिन्हें विधि, विधान, व्यवसाय संघवाद, महिलाओं की नियोजन संभाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबन्धन, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव हो :

परन्तु कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों में से होगा ;

(ग) अधिमानतः भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा की महिला अधिकारियों में से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सदस्य—सचिव जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव/उप सचिव की पदवी से नीचे का न हो,

(घ) महिला तथा बाल विकास, हरियाणा का प्रशासकीय सचिव विशेष आमन्त्रिणी होगा;

(ङ) निदेशक, महिला तथा बाल विकास, हरियाणा तथा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा आयोग के पदेन सदस्य होंगे;

(च) आयोग के सदस्यों में महिलाओं का बहुमत होगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
तथा सदस्यों की
पदावधि तथा सेवा
शर्तें।

4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष से अनधिक
ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा गैर-सरकारी सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने
पर पद पर नहीं रहेगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की हैसियत वही होगी जो वित्तायुक्त एवं
प्रधान सचिव की हैसियत है तथा नामनिर्देशित सदस्य की हैसियत क्रमशः हरियाणा सरकार
के विभाग में संयुक्त सचिव के समकक्ष होगी। सदस्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित
लिखित में नोटिस देते हुए अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा।

(3) सरकार सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि वह,—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है,

(ख) ऐसे अपराध, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता वाला हो, के
लिए सिद्धदोष तथा कारावास से दण्डादेशित हो जाता है,

(ग) किसी आपराधिक मामले में शामिल पाया जाता है या उसके विरुद्ध
आरोप लगाए गए हैं;

(घ) विकृतवित्त हो जाता है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार
घोषित किया जाता है,

(ङ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता
है;

(च) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किए बिना स्वयं आयोग
की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है, या

(छ) सरकार की राय में उसने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है
कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना लोक हित या महिलाओं
के हित के लिए अहितकर है :

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को तब तक नहीं
हटाया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का
युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है :

(4) उप धारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी
जाएगी।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते तथा
उनकी सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

आयोग के अधिकारी
और अन्य कर्मचारी

5. (1) सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था
करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए
आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों या बजट स्पोर्ट में से भुगतान किये जाएंगे।

वेतन और भत्तों का अनुदान/बजट स्पोर्ट में से भुगतान किया जाना।

7. आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने, सदस्य की अनुपस्थिति या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी।

रिक्तिय इत्यादि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

8. (1) आयोग ऐसी समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे विशेष प्रश्नों पर विचार करने के लिए आवश्यक हों जो आयोग द्वारा समय-समय पर उठाए जाएं।

आयोग की समितियाँ।

(2) आयोग को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में, ऐसे व्यक्तियों में से जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, उतने व्यक्ति सहयोजित करने की शक्ति होगी जितने वह उचित समझे और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित रहने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं।

9. (1) आयोग या उसकी समिति, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक जब भी आवश्यक हो, की जाएगी और वह ऐसे समय और स्थान पर की जाएगी जो ठीक समझे।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना।

(2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया तथा उसकी समितियों की प्रक्रिया विनियमित करेगा या जो विहित है।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय III

आयोग के कृत्य

10. (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों को करेगा, अर्थात्:—

आयोग के कृत्य।

(क) महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना;

(ख) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, सरकार को रिपोर्ट देना ;

- (ग) ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए राज्य द्वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना;
- (घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;
- (ङ) संविधान तथा अन्य विधियों के उपबन्धों के महिलाओं से सम्बन्धित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;
- (च) निम्नलिखित से सम्बन्धित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना—
- (i) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;
- (ii) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;
- (iii) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अननुपालन, और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;
- (छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;
- (ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी प्रगति में अडचन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास तथा मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;
- (झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन पर मन्त्रणा देना;

- (ज) राज्य में महिलाओं से सम्बन्धित स्कीमों/कार्यक्रमों को मॉनिटर करना तथा पुनर्विलोकन करना तथा राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना
- (ट) पुलिस स्टेशनो जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना;
- (ठ) विकास, सशक्तिकरण तथा पहुंच के लिए महिलाओं की यात्रा के विभिन्न विषयों/पहलुओं पर किसी संगठन से डाटा की माग करना जिसमें विकास व्यक्तिगत, पारिवारिक या समाज इत्यादि से उन द्वारा सामना की गई बाधाएं शामिल हैं;
- (ड) महिलाओं से सम्बन्धित किसी बात के, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना ;
- (ढ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किया जाए ;
- (ण) किसी मामले पर जिससे सरकार सम्बन्धित है राष्ट्रीय महिला आयोग की किसी रिपोर्ट पर टिप्पणियां तथा सिफारिशें प्रस्तुत करेगा जो सरकार मांगे।

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्ट, की गई कार्रवाई स्पष्ट करते हुए ज्ञापन सहित राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगी ;

(3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (घ) के उप खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की हैं, अर्थात्:

- (क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना तथा हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ- पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,
- (घ) किसी लोक कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना ;
- (ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

अध्याय IV

वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा

सरकार द्वारा
अनुदान/बजट
स्पोर्ट

11. (1) सरकार विधानमण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए राज्य की समेकित निधियों में से बजट स्पोर्ट के रूप में भुगतान करेगी।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को करने के लिए उतनी धन राशि खर्च कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों या बजट स्पोर्ट में से भुगतानयोग्य व्यय के रूप में मानी जाएगी।

लेखा और
लेखा-परीक्षा।

12. (1) आयोग उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों के वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(2) आयोग के लेखों की लेखा-परीक्षा महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), हरियाणा द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा भुगतानयोग्य होगा।

(3) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), हरियाणा और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) को सरकारी लेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्टतया बहियों, लेखों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), हरियाणा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे और साथ ही उस पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट आयोग द्वारा सरकार को भेजी जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट:

13. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी प्रति सरकार को भेजेगा जो महिला तथा बाल विकास विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का भाग होगी।

वार्षिक रिपोर्ट और
लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
का विधानमण्डल के
सम्मूख रखा जाना।

14. सरकार वार्षिक रिपोर्ट, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगी जिसके साथ उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर, जहां तक उनका संबंध सरकार से है, की गई कार्रवाई और यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारण का ज्ञापन और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट होगी।

अध्याय V

प्रकीर्ण

15. आयोग के सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना।

16. सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

सरकार आयोग से परामर्श करेगी।

17. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी सदस्य या आयोग के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या की जानी आशयित है।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

18. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

19. हरियाणा राज्य महिला आयोग में अधिसूचना संख्या 3055-एसडब्ल्यू(4)/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 1999 द्वारा नामनिर्देशित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य उक्त अधिसूचना के अधीन अपनी-अपनी अवधि की समाप्ति तक बने रहेंगे :

व्यावृत्ति।

परन्तु अधिसूचना संख्या 3055-एस डब्ल्यू (4)/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 1999 के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या संचालित कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात तथा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार राज्य महिला आयोग गठित किया गया था तथा इसलिए हरियाणा राज्य ने हरियाणा राज्य महिला आयोग को गठित करने के लिए प्रशासकीय अधिसूचना दिनांक 20.12.1999 को जारी की थी। इन प्रशासकीय आदेशों के अनुसरण में कोई भी अधिनियम अब तक राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित नहीं किया था। आयोग की वर्तमान हैसियत के अनुसार यह किसी वाद के विचारण के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता जैसे कि समन करने, हाजरी लगवाने, किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेने, गवाहों और दस्तावेजों का परीक्षण करना, महिलाओं को संरक्षण मुहैया करने के लिए अधिनियमित विधियों का लागूकरण, महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ नीतिगत निर्णयों, मार्गदर्शन सिद्धांतों का अनुपालन। अतः राज्य महिला आयोग को मजबूत बनाने के लिए प्रारूप विधेयक प्रस्तावित किया गया है जो राज्य महिला आयोग की वैधानिक हैसियत मुहैया करेगा।

गीता भुक्कल,

महिला एवं बाल विकास मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ .

23 अगस्त, 2012

सुमित कुमार,

सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा राज्य महिला आयोग विधेयक, 2012 के खण्ड 3 के अनुसार आयोग में सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य राचिव होगा। इसके अतिरिक्त दो पदेन सदस्य होंगे। आयोग विशेष मुद्दों के निपटान के लिए समितियां नियुक्त कर सकता है। आयोग को सौंपे जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु धन की आवश्यकता होगी। विधेयक के खण्ड 5 के अनुसार सरकार आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी।

विधेयक के खण्ड 11 (1) में प्रस्ताव किया गया है कि सरकार विधानमण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए राज्य की समेकित निधियों में से बजट स्पोर्ट के रूप में भुगतान करेगी।

इस अवस्था में बजट तथा व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सदस्यों एवं अमले के लिए निबन्धन एवं शर्तें निर्धारित की जानी हैं।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 18 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धित ज्ञापन संलग्न है।